



कार्यालय मुख्य आयुक्त

Office of the Chief Commissioner

सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर

CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 47/2025

दिनांक: 25.09.2025

निरीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री मोहित मीना	11.09.1996	कार्यग्रहण पर (सीजीएसटी एवं के.उ.शु. वडोदरा जोन से ऋण आधार पर)	सीमा शुल्क (निवा.), जोधपुर मु. जयपुर
2.	सुश्री अर्चना	06.09.1993	अंकेक्षण, जयपुर	सीजीएसटी, अलवर

2. उपरोक्त क्रम सं. 1 पर अंकित अधिकारी को आज दिनांक 25.09.2025 (अपराह्न) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं की वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

3. उपरोक्त दोनों अधिकारियों को उक्त स्थानान्तरण/ आवंटन पर स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी क्योंकि उक्त आदेश ऋण आधार पर कार्यग्रहण करने पर/ स्वयं के अनुरोध पर जारी किए जा रहे हैं।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., वडोदरा जोन।
- आयुक्त, सीजीएसटी, अलवर/ अंकेक्षण, जयपुर/ सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर मु. जयपुर/ अपील आयुक्तालय, वडोदरा।
- वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
- सम्बंधित अधिकारी।
- निरीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
- वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेचू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE